

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1846
उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन का कार्यान्वयन

1846. श्री राधाकृष्ण:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पीएम-जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत पीवीटीजी के लिए अब तक कितने घरेलू बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) और सार्वजनिक संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है;
- (ख) इस योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक कितनी निधि आबंटित और व्यय की गई है और संवितरण में देरी के क्या कारण हैं;
- (ग) सरकार द्वारा पीवीटीजी क्षेत्रों में अर्हक निवास स्थानों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
- (घ) क्या इन क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियाँ स्थापित करने में कार्यान्वयन संबंधी कोई चुनौतियाँ आई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इन सौर प्रणालियों के दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि इनके द्वारा लाभ निरंतर बने रहें?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत 1000 बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी) स्थापित करने का लक्ष्य है और 1000 एमपीसी स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आवास स्तरीय डेटा के आधार पर, पीवीटीजी परिवारों की संख्या लगभग 12 लाख होने का अनुमान है। इस अभियान के तहत लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण और इसकी शुरुआत से अब तक इसमें कवर किए गए एमपीसी और संस्थानों का ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ख): अभियान के तहत एमपीसी की वित्तीय प्रगति का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है। राज्य सरकारों/क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करना राज्य सरकारों/क्रियान्वयन एजेंसियों की मांगों, वित्तीय और वास्तविक प्रगति और लागू होने वाले वित्तीय नियमों/निर्देशों के अधीन है।

(ग): अभियान के तहत कवर किए जाने वाले पीवीटीजी बस्तियों की वास्तविक संख्या, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों पर निर्भर करती है।

(घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली लगाने के लिए सौर उपकरण के परिवहन और अभिगम्यता को बढ़ी चुनौतियों के तौर पर पहचाना है, क्योंकि पीवीटीजी/जनजातीय गांव/बस्तियां अधिकतर दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं।

(ङ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, योजना के तहत, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सिस्टम की पूरी लागत, लागू कर, परिवहन, स्थापना और 5 साल के लिए ऑनसाइट व्यापक रखरखाव सेवाओं को कवर करती है। इसके अलावा, यह योजना सही कामकाज और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) के प्रावधान को भी अनिवार्य (अधिदेशित) करती है।

श्री राधाकृष्ण द्वारा "पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1846 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पीएम जनमन प्रगति (24 नवंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार)

पीएम जनमन प्रगति-संबंधित मंत्रालय द्वारा 24 नवम्बर, 2025 तक मंजूरी विवरण				
मंत्रालय का नाम	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023-2026)	मंजूरी विवरण	वास्तविक उपलब्धियां
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	4.90 लाख मकान	471300 मकान	238133 मकान पूरे हुए
	संपर्क सड़कें	8000 किमी सड़क	6951.39 किमी सड़क	825 किमी सड़क पूरा हुआ
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयां	1000 एमएमयू (सभी को कवर करने के लिए 733 एमएमयू पर्याप्त)	694 एमएमयू	694 एमएमयू संचालित
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति	19375 गांव	18463 गांव	7712 गांव 100% संतृप्त
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन	2500	2500 आंगनवाड़ी केंद्र	2084 आंगनवाड़ी केंद्र क्रियाशील किए गए।
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	500	500 छात्रावास	111 छात्रावास में काम शुरू हो गया है।
विद्युत मंत्रालय	गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण	145083 आवास	145083 आवास	134102 आवास विद्युतीकृत
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नवीन सौर ऊर्जा योजना के तहत स्वीकृत घर	ऑफ-ग्रिड के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान के अनुसार	8911 आवास	5814 आवास विद्युतीकृत
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	4543 बस्तियों का कवरेज	4015 बस्तियां को कवरेज के लिए योजना बनाई है	2944 बस्तियाँ कवर की गईं
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र	1000	1000 एमपीसी	328 पूरे हुए
	वीडीवीके की स्थापना	500	539 वीडिवीके	450 वीडिवीके में कार्य शुरू हुआ

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

अनुलग्नक II

श्री राधाकृष्ण द्वारा "पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1846 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पीएम-जनमन के तहत एमपीसी की वित्तीय प्रगति का विवरण (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2023-24	-	100	100
2024-25	240	150	99.68
2025-26	300	-	94.10 (इसके अलावा एसएनए स्पर्श के माध्यम से 79.02)
